

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 4(1)चिस्वा/2/2019/यू-178

जयपुर,दिनांक: -१५/११

निदेशक (जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

विषय:—डॉ0 अशोक कुमार जाटव, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) को कार्यग्रहण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अशोक कुमार जाटव, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) को पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 में कार्यवाही की जावेगी तथा पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से कर्तव्य पर मानते हुये पूर्व की समस्त अवधि अनुपस्थिति अवधि मानी जावेगी।

अतः अनुपस्थिति अवधि के लिए इनके विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्रादि शीघ्र इस विभाग को भिजवावें एवं डॉ0 जाटव को पूर्व पदस्थापन स्थान उप जिला चिकित्सालय, बालोतरा, बाडमेर में ही पदस्थापित किया जाता है।

भवदीय,

—

(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 3-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा, बाडमेर।
- 4-डॉ0 अशोक कुमार जाटव, व0वि0(दंत) द्वारा निदेशक (जनस्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 5-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

१०/११/१९  
शासन सहायक सचिव